न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

डीलवा पिता वगैरह बनाम कुरबान मियॉ वगैरह

वाद संख्या – 113/2023

धारा – 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29.09.23	आदेश आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के डीलवा पिता स्व0 गांगो महतो के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि खतियानी रैयती जमीन है। जिसपर द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है जिसको लेकर विवाद है। वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है ग्राम + मौजा – गडैया, थाना – सरिया, खाता नं0 – 92, प्लॉट नं0 – 234, रकबा – 25 डी0, चौहदी उ0 – अलीबक्स मियां, दं0 – रास्ता, पू0 – अलीबक्स मियां, पं0 – नीज। द्वितीय पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भुमि पर बलपूर्वक हडपने की नियत से मकान बना रहे हैं। इस कारण से काफी विवाद हो रहा है। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि खतियान से हासिल है जो खतियान मेरी माँ रेवली देवी पति गांगो महतो के नाम इन्द्राज पाया गया जिसकी जमाबंदी अंचल कार्यालय बगोदर हाल अंचल कार्यालय सरिया के मांग पंजी *II* पेज नं0 – 92, भाग संख्या – 1 से मालगुजारी रसीद निर्गत है। आवेदक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान कि छायाप्रति एवं मालगुजारी रसीद संख्या – 5836374 दिनांक 29/11/2011 कि छायाप्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त	

जमीन बजरीये केवाला संख्या – 3446 दिनांक 29/09/2022 एवं केवाला संख्या – 469 दिनांक 01/09/2022 से हासिल है। आगे द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि रेवली देवी के चार पुत्र क्रमशः डीलो यादव, केदार यादव, बोधी यादव एंव एतवारी यादव हुए। जिसमें केवाला संख्या 3446 दिनांक 29/09/2022 को मौजा – गडैया के अन्दर खाता नं0 – 92 प्लॉट नं0 – 234 रकबा – 25 डी0 मध्ये 6 डी0 चौहदी उ0 – खरीदगी सेबुन खातुन, दं0 – रास्ता, पु0 – बाबुजान अंसारी पं0 बोधी यादव एवं केवाला संख्या – 469 दिनांक 01/09/2022 को खाता नं0 – 92, प्लॉट नं0 – 234 रकबा – 25 डी0 मध्ये $6\frac{1}{4}$ डी0 चौहदी उ0 – कासिम अंसारी, दं0 – रास्ता, पु0 – मकान लेख्यधारी, पं0 – केदार यादव दर्ज है। उक्त दो कित्ता जमीन दो केवाला से हासिल है जिसकी जमाबंदी मांग पंजी – *II* भाग संख्या – *II* एवं पंज नं0 – 94, एवं 93 कायम है। तथा मालगुजारी रसीद कुल रकबा – $12\frac{1}{4}$ डी0 का निर्गत है। जिसपर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन से कोई लेना देना नही है। प्रथम पक्ष के द्वारा माननीय न्यायालय गिरिडीह में ओरिजनल सुट संख्या – 7/2023 दाखिल भी किया जा चुका है। इस स्थिति में मुकदमा चलने योग्य नही है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में केवाला संख्या – 3436 दिनांक – 29/09/2022 एवं 469 दिनांक 01/09/2022 कि छायाप्रति एवं मालगुजारी रसीद संख्या – 0253530889 एवं 0715912191 कि छाया प्रति एवं नामातंरण शुद्धि पत्र कि छायाप्रति वो ओरिजनल सुट संख्या 7/23 कि नोटिस कि छायप्रति दाखिल किया गया है।

थाना प्रभारी सरिया के पत्रांक संख्या – 954/23 दिनांक 21/07/2023 के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा एवं दस्तावेज का अवलोकन किया अवलोकन के पश्चात प्रतीत होता है कि उक्त वाद ग्रस्त भुमि हक हकियत

को लेकर दायर किया गया है जबकि प्रथम पक्ष के द्वारा पूर्व में ही सक्षम न्यायालय में मामला दाखिल किया जा चुका है। साथ ही इसका उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस वाद में पारित आदेश जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण भाई थोगडिया [*Appeal (Crl.)401 of 2004*] कहा है कि "*.....more preventive in nature and not punitive in their effect and consequences*". अतः किसी के पक्ष में आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

29/09/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

29/09/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.10.10 14:58:06 +05:30
Location: 192.168.45.238